न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 63/2022

मोहित बनाम शारदा

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, सपठित धारा 151 सी. पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश कुमार छाबड़ा अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 3
2. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादीगण

–:: आदेश ::– दिनांक :– 26.05.2025

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में अंकित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से उक्त अनवान के वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन इन तथ्यों पर प्रस्तुत किया है कि वादीगण के द्वारा वाद अपने पिता को शरावी किस्म का व्यक्ति होना कथन करते हुए धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 22 एम.एल. के खाता संख्या 35/28, मुरब्बा नम्बर 3, 6, 11, 13 की कुल 7.641 है. में से प्रतिवादी संख्या 4 के नाम की 2.6909 है. में से वादीगण को 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है कि उनके कब्जा काश्त में मदालखत ना करे तथा अनुतोष की मद संख्या ग में बैयनामा दिनांक 21.05. 2020, 30.10.2019 को प्रभावशून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण वाद पत्र के अभिवचनों से किया जाना है जिस हेतू जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। विधिक प्रावधानों के तहत बोगस क्लेम पर आधारित वादों को गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों के तहत न्यायालय की वाद पत्र के अभिवचनों से इस संदर्भ में संतुष्टि होने पर कि वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक नहीं है एवं ना हीं वाद हेतूक प्रकट होता है एवं वाद किसी भी विधि से वर्जित है तो न्यायालय वाद को प्रथम चरण पर ही बिना आयन्दा विचारण निरस्त कर सकती है। वाद पत्र के अभिवचनों का अवलोकन करें तो वाद पत्र की मद संख्या 3 में वादी के द्वारा यह तथ्य अंकित किया है कि वादीगण के दादा बहादरराम के नाम से कृषि भूमि थी एवं मद संख्या 4 में यह अंकित किया है कि दादा की मृत्यु 06.07.1985 को होने के उपरान्त विरास्तन इंतकाल संख्या 184 दिनांक 22.02.1992 को स्वीकृत किया गया इसलिये भूमि पैत्रिक है। इस सन्दर्भ में विधिक बिन्दुओं पर निवेदन करना आवश्यक होगा कि वादीगण के द्वारा पैत्रिक भूमि की विधि का बिना अध्ययन किये उक्त तथ्य अंकित किये है जबकि पैत्रिक भूमि चतुर्थ पीढ़ी में विरास्त में प्राप्त होने वाली भूमि होती है जबकि हस्तगत वाद में भूमि बहादराम की थी जिससे विरास्तन कुछ हिस्सा ताराचंद को प्राप्त हुआ जो कि प्रथम पीढ़ी है एवं ताराचन्द स्वयं जीवीत है इसलिये ऐसी स्थिती में ताराचंद को प्राप्त विरास्तन सम्पति प्रथम पीढ़ी में होने के कारण पैत्रिक की परिधि में नहीं आती है इसलिये ताराचन्द के नाम से अंकित भूमि को पैत्रिक भूमि होना कथन कर वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक वादीगण को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

प्राप्त नहीं होने के कारण एवं वाद वादीगण पैत्रिक भूमि के कानून से वर्जित होने के कारण विधि से बाधित है एवं इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वादीगण के पिता को चक 22 एम.एल. की कृषि भूमि जरिए दस्तबरदारी दिनांक 27.01.2014 से प्राप्त हुई है जिसका नामान्तरण संख्या 537 दिनांक 05.03.2014 को स्वीकृत हुआ है। जब वादीगण स्वयं इन तथ्यों को वाद पत्र के अभिवचनों में स्वीकार कर रहे है कि ताराचन्द प्रतिवादी संख्या 4 को कृषि भूमि जरिए दस्तबरदारी प्राप्त हुई है जो कि पंजीकृत दस्तावेज से प्राप्त होने के कारण एवं विरासतन प्राप्त ना होने के कारण पैत्रिक की परिधि में नहीं आती है। इसलिये ऐसी स्थिती में ताराचंद को प्राप्त कृषि भूमि विरासतन सम्पति ना होकर वरन् पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी से प्राप्त होने के कारण पैत्रिक की परिधि में नहीं आती है एवं पैत्रिक हेतू भूमि चार पीढ़ी में विरासतन प्राप्त होना आवश्यक है इसलिये ताराचन्द के नाम से अंकित भूमि को पैत्रिक भूमि होना कथन कर वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक वादीगण को प्राप्त नहीं होने के कारण एवं वाद वादीगण पैत्रिक भूमि के कानून से वर्जित होने के कारण विधि से बाधित है एवं इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 6 में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पिता ताराचन्द प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा प्राप्त समस्त कृषि भूमि 2.6909 हैक्टेयर का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामों से किया जा चुका है एवं उक्त बैयनामाजात वादीगण की जानकारी में है ऐसी स्थिती में पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा को जरिए वाद राजस्व न्यायालय में चुनौती दी गयी है जबकि पंजीकृत दस्तावेजात बैयनामा के विरूद्ध वाद सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को हासिल नहीं है महज सक्षम अधिकारिता वाली दीवानी न्यायालय ही पंजीकृत दस्तावेज को शून्य अथवा प्रभावहीन घोषित कर सकती है इसलिये वाद दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण भी विधि से वर्जित है। वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादीगण को धारा 88, 53 अथवा 188 का वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक प्राप्त ना होने, भूमि पैत्रिक ना होने, भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से प्रतिवादीगण को हो जाने के फलस्वरूप वाद वादीगण दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के आधार पर वाद को इसी इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण निरस्त करने का निवेदन किया है। यह भी अंकन किया कि वादीगण के द्वारा राजस्व वाद के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से बैयनामाजात को चुनौती दी है जिसके लिए वादीगण महज विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बैयनामाजात को मन्सूख करवाने का वाद महज दीवानी न्यायालय में न्यायशुल्क अदा कर ही प्रस्तुत कर सकते है राजस्व न्यायालय को ऐसे तथ्यों के आधार पर वाद सुनने की अधिकारिता प्राप्त नहीं हैं वादीगण यह भी कथन करने का अधिकार नहीं रखते है कि वाद हाजा अधिकारों की घोषणा का है क्योंकि बैयनामाजात को प्रारम्भतः शून्य होना कथन किया गया है जबकि वाद पत्र के अभिवचनों से बैयनामाजात का पंजीयन होना, प्रतिफल राशि का प्रदान होना प्रमाणित है इसलिये वाद हाजा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से हिट होता है एवं विधि से बाधित होने के फलस्वरूप आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना आयन्दा विचारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनी बिन्दु को सर्वप्रथम निर्णित करने का हवाला दिया जाकर बोगस क्लेम पर आधारित वाद को इसी स्तर पर प्रार्थना पत्र के अधीन निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किये कि वादी के द्वारा वाद पत्र में वाद कारणों का उल्लेख किया है एवं वाद कारण विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो जवाबदावा आने के उपरान्त, तनकीयात कायम कर एवं साक्ष्य ली जाकर ही तैय किया जा सकता है। वाद के वर्तमान प्रक्रम पर तैय नहीं किया जा सकता है। भूमि को पैत्रिक कृषि भूमि साबित होना कथन कर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 4 को सम्पूर्ण भूमि अन्तरण करने का अधिकार ना होना कथन किया एवं किये गये अन्तरण को अविधिक, विधि विरूद्ध एवं शून्य दस्तावेज होना कथन किया है। दस्तगत कृषि भूमि 2.6909 है. को पैतृक सम्पति होना कथन कर वादीगण का जन्म से हक व अधिकार होना कथन कर प्रतिवादी संख्या 4 के जीवनकाल में घोषणा करवाने एवं विभाजन का अधिकारी होना कथन किया है एवं उक्त अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदान किये जाने में न्यायालय को सक्षम होना कथन कर दस्तावेज के विधि विरूद्ध होने से प्रभावशून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने का अनुतोष आनुषांगिक होना कथन किया है। प्रार्थना पत्र कानूनी प्रक्रिया का दुरूप्योग कर प्रस्तुत किया गया होना कथन करते हुए निरस्त करने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एवं वाद पत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अभिवचनों से ही भूमि पैतृक होना प्रमाणित नहीं है क्योंकि भूमि पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी से आयी है द्वितीय पैतृक भूमि होना प्रमाणित नहीं है तृतीय प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा भूमि का बेचान पंजीकृत दस्तावेज से कर दिये जाने के कारण वर्तमान में वाद दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण विधि से वर्जित एवं वाद कारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत निरस्त किये जाने योग्य है अतः निरस्त किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से बहस के समर्थन में ऐ.आई.आर. 2018 राजस्थान उच्च न्यायालय 143, ऐ.आई.आर. 1971 सुप्रीम कोर्ट 776, ऐ.आई.आर 1977 सुप्रीम कोर्ट 2421, 2011 आर.बी.जे. 582 एवं 2022 (2) आर. आर.टी. 1175 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है। **वकील वादीगण द्वार जवाब बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि** प्रार्थना पत्र महज वाद कार्यवाही को देरीना करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है जबकि भूमि पैतृक है अथवा नहीं इसका निस्तारण वाद में साक्ष्य आने के बाद ही हो सकता है प्रतिवादी संख्या 4 पैतृक भूमि में से अपना हिस्सा ही बेचान कर सकता था, अपने हिस्सा से ज्यादा भूमि नहीं बेच सकता था इसलिये बैयनामें प्रारम्भतः शून्य होने के कारण राजस्व न्यायालय धारा 88 के तहत अनुतोष प्रदान करने में सक्षम होने के कारण प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया। वकील वादीगण द्वार बहस के समर्थन में 2023 आर.आर.टी. 1001, 2021 आर.आर.टी. 27, 2025 डी.एन.जे. 402, 2024 डी.एन.जे. रेवन्यू 1038 एवं 2003 आर.आर.टी. 157 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्थिती निर्विवाद है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण चूंकि वाद पत्र के अभिवचनों से ही होना है एवं इस हेतु प्रतिवादीगण के जवाब अथवा साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है इसलिये हस्तगत प्रार्थना पत्र का निर्णय वाद पत्र के अभिवचनों के आधार पर ही किया जा रहा है। वाद पत्र के अभिवचनों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र के अभिवचनों में चरण संख्या 3 में अंकित भूमि दादा बहादरराम के नाम से अंकन होना कथन करते हुए उनके देहान्त 06.07.1985 के उपरान्त विरास्तन इंतकाल संख्या 184 दिनांक 22.02.1992 से अंकन होना कथन किया है जिसे उक्तानुसार पैतृक होना कथन किया है लेकिन चरण संख्या 5 में इसके विपरीत यह अंकन किया है कि वादीगण के पिता को चक 22 एम.एल. की कृषि भूमि जरिए दस्तबरदारी दिनांक 27.01.2014 से अन्तरण की गयी जिसका नामान्तरण संख्या 537 दिनांक 05.03.2014 को स्वकृत हुआ जिससे वादीगण के पिता मुश्तरका खाता में 2. 6909 है. भूमि के खातेदार हो गये, इस 2.6909 है. भूमि को पैतृक होना कथन कर चरण संख्या 6 में यह अंकन किया है कि समस्त भूमि का अन्तरण पंजीकृत दस्तावेज बैयनामों से प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा किया जा चुका है तथा अन्तरण के दस्तावेजों को अविधिक, विधि विरूद्ध प्रारम्भतः शून्य होना कथन कर इस आशय की घोषणा करवाने का कथन किया है। मुख्यतः चरण संख्या 9 में वाद कारण के लिए यह अंकन किया है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कि नुमाईशी अन्तरण पत्रों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को दिनांक 02.05.2022 को मिलकर निवेदन करने पर कि अन्तरण पत्रों को स्वयं ही स्वेच्छा से शून्य घोषित करवा लें तो वे कतई इन्कार हो गये जो कि वाद कारण है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुतोष चाहा गया है। उपरोक्त अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त एंव विधिक प्रावधानों का अवलोकन करने के उपरान्त यह स्थिती स्पष्ट होती है कि वादीगण इस तथ्य को स्वयं स्वीकार कर आये है कि उनके पिता को 2.6909 है. भूमि जरिए पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी से प्राप्त हुई है ऐसी स्थिती में जहां सम्पति पंजीकृत दस्तावेज से प्राप्त हुई हो वह सम्पति पैतृक की परिभाषा में नहीं आती है द्वितीय इस तथ्य को भी वादीगण ने स्वीकार किया है कि समस्त भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामों से हो चुका है लेकिन इन बैयनामों को प्रभावशून्य होना कथन किया है एवं वाद कारण भी यही अंकन किया है कि अन्तरण के दस्तावेजों को स्वयं ही शून्य घोषित करवाने से इन्कार करने पर वाद प्रस्तुत किया है तो यहां विधिक स्थिती स्पष्ट है जो दस्तावेज शून्यकरणीय की परिभाषा में आते है जिन्हें शून्य घोषित करने अथवा निरस्त करने की अधिकारिता सक्षम दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है इस संदर्भ में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ऐ.आई.आर. 2018 राजस्थान उच्च न्यायालय 143 में राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि In the case of Bhopal Singh, which was a case of sale deed executed by father and allegations made were that the transfer was without any legal necessity, this Court, after noticing the law laid down by Hon'ble Supreme Court in **Raghubanchamani vs. Ambica Prasad : AIR 1971 SC 776**, wherein, it was held that alienation by the Manager of the joint Hindu family even without legal necessity is voidable and not void, laid down as under:

"It, therefore, follows that the main relief which the plaintiff has asked for in the suit is of cancellation of the sale-deed executed by his father on August 18, 1965 and the incidental relief regarding restoration of possession will follow as a consequence to the finding of the Civil Court relating to the relief of the cancellation of the sale-deed. In these circumstances, in my opinion, the learned Civil Judge while allowing the application for amendment of the plaint by deleting paragraph 7 of the plaint, rightly held that the suit of the plaintiff is cognizable by a Civil Court." उक्त प्रावधान हस्तगत प्रकरण में अक्षरतः चस्पा होते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां वाद पत्र के अभिवचनों के अवलोकन मात्र से प्रकट हो कि वाद किसी विधि से वर्जित है एवं वाद प्रस्तुत करने का वाद हेतूक न तो प्रकट होता है एवं ना हीं दर्शित होता है वहां ऐसे वादों को कार्यवाही के प्रथम चरण पर निस्तारित किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में भी वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से वर्जित होने, दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने एवं अन्तरण को स्वयं ही शून्य मानने वाले वाद कारण के आधार पर धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल ना होने एवं प्रकट ना होने के फलस्वरूप चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है एवं इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरस्त किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाता है वाद अनवानी मोहित वगैरा बनाम शारदा वगैरा विधि से वर्जित होने एवं वाद हेतूक के अभाव में इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

खण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner